

न्यायालय: श्रीष कैलाश शुक्ल, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला-बालाघाट, (म.प्र.)

आप.प्रकरण.क.-725/2011
 संस्थित दिनांक-21.10.2011
 फाइलिंग क.234503000202011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-बिरसा,
 जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **अभियोजन**

// **विरुद्ध** //

रामजी मरावी पिता सुबेलाल, उम्र-36 वर्ष,
 निवासी-ग्राम डोरली, पुलिस चौकी सालेटेकरी,
 थाना बिरसा, जिला-बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — **आरोपी**

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-09/01/2017 को घोषित)

1— आरोपी रामजी मरावी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के तहत आरोप है कि उसने दिनांक-23.08.2011 को शाम 6:30 बजे, थाना बिरसा क्षेत्रांतर्गत ग्राम मरारीटोला(सिंघनपुरी) में लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-07/एल.एफ-5313 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर ईमलाबाई एवं दिलवंतीबाई को टक्कर मारकर साधरण उपहति कारित की, उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत बतनबाई को टक्कर मारकर उसकी छाती में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की।

2— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक-23.08.2011 को फरियादी ईमलाबाई ने थाना बिरसा आकर इस आशय की रिपोर्ट लेख कराई कि उक्त दिनांक को शाम 6:30 बजे वह, बतनबाई, सुकमनबाई एवं दिलवन्तीन बाई के साथ दमोह रोड तरफ जा रही थी, तभी दमोह की ओर से एक मोटरसाइकिल चालक, मोटरसाइकिल को लहराते हुए तेज गति एवं लापरवाहीपूर्वक चलाते हुए लाया और उसने, दिलवंतीबाई एवं बतनबाई को टक्कर मारी और वाहन छोड़कर भाग गया था। वह, दिलवंतीबाई और बतनबाई मोटरसाइकिल में दब गए थे, जिसे सुकमनीबाई ने हटाकर उन्हें उठाया था। उन लोगों ने आवाज लगाई तो गांव के छम्मीलाल, सुखराजी आए और उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल चालक ग्राम डोरली का है और उसकी मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-07/एल.एफ-5313 है। मोटरसाइकिल की टक्कर से उसे, दिलवंतीबाई और बतनबाई को चोट आई थी। फरियादी की उपरोक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपी वाहन चालक के विरुद्ध अपराध क्रमांक-83/2011, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. एवं धारा-184 मो.

व्ही.एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस के द्वारा विवेचना के दौरान घटना स्थल का मौका नक्शा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी से वाहन जप्त कर जप्तीपंचनामा तैयार किया गया। विवेचना के दौरान आहत बतनबाई की एक्सरे रिपोर्ट में अस्थिभंग होने के कारण अंतिम प्रतिवेदन में आरोपी के विरुद्ध भा.द.वि. की धारा-338 का इजाफा किया गया तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337, 338 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:-

1— क्या आरोपी ने दिनांक-23.08.2011 को शाम 6:30 बजे, थाना बिरसा क्षेत्रांतर्गत ग्राम मरारीटोला(सिंघनपुरी) में लोकमार्ग पर मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-07/एल.एफ-5313 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया ?

2— क्या आरोपी उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षा से चलाकर इमलाबाई एवं दिलवंतीबाई को टक्कर मारकर साधारण उपहति कारित ?

3— क्या आरोपी ने उक्त वाहन को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत बतनबाई को टक्कर मारकर उसकी छाती में अस्थिभंग कर घोर उपहति कारित की ?

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-1 का निष्कर्ष :-

5— अभियोजन की ओर से परिक्षित साक्षी सुखमनीबाई अ.सा.1 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना उसके बयान देने के एक वर्ष पूर्व कृष्ण जन्माष्टमी के समय की है। वह ग्राम सिंघपुरी के बाहर शाम 6:00 बजे वह, इमलाबाई, बतनबाई और दिलवंतीबाई नल में पानी भर रही थी, तभी एक मोटरसाइकिल वाला दमोह की तरफ से लहराते हुए आया और उसने तीनों महिलाओं को टक्कर मार दी। मोटरसाइकिल उनके उपर गिर गई, तब मोटरसाइकिल वाले ने अपनी मोटरसाइकिल छोड़ दी और भाग गया। मोटरसाइकिल चलाने वाला व्यक्ति ग्राम डोरली का रामजी है, ऐसी उसे जानकारी हुई। पुलिसवालों ने मौके पर आकर घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-1

बनाया था, जिसके अ से अ भाग पर उसने हस्ताक्षर किये थे। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय वे लोग मोटरसाइकिल को आते देख घबरा गए थे और यहां-वहां भागने लगे थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि मोटरसाइकिल वाला पीछे से आ रहा था।

6— अभियोजन साक्षी ईमलाबाई अ.सा.2 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि घटना उसके बयान देने के दो वर्ष पूर्व शाम 6:00 बजे की है। वह शौच के लिए जा रही थी, तब उसके साथ दिलवंतीबाई और बतनबाई भी थी, तभी एक मोटरसाइकिल वाला आया और उसने उन्हें टक्कर मार दी, जिससे उसे सिर पर तथा सीने में चोट आई थी। दुर्घटना में दिलवंतीबाई, बतनबाई को भी चोटें आई थी। बतनबाई की पसली टूट गई थी। मोटरसाइकिल चालक के बारे में उसे जानकारी नहीं है और न ही उसने गाड़ी का नंबर देखा था। दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, यह वह नहीं बता सकती। उसने थाना जाकर प्रदर्श पी-1 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ईमलाबाई अ.सा.2 ने कहा है कि मोटरसाइकिल वाला पीछे से आ रहा था, परंतु साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि वह मोटरसाइकिल देखकर सड़क पर भागने लगी थी, जिससे दुर्घटना हुई थी।

7— बतनबाई अ.सा.3 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी रामजी को जानती है। घटना उसके बयान देने के दो वर्ष पूर्व शाम 6:00 बजे की है। वह ईमलाबाई और दिलवंतीबाई के साथ जा रही थी, तभी मोटरसाइकिल लेकर आरोपी आया और रोड से उतरकर उसकी तरफ आकर उसे टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में उसे अस्थिभंग हुआ था, उसे दांत में भी चोट आई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया है कि मोटरसाइकिल देखकर वह सड़क पर ईधर-उधर भागने लगी थी, जिससे दुर्घटना हुई थी। साक्षी ने इस बात से भी इंकार किया कि वह घटना के समय मोटरसाइकिल चालक को नहीं देख पाया था। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को सामान्य गति से चला रहा था।

8— दिलवंतीबाई अ.सा.5 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी रामजी को जानती है। घटना उसके बयान देने के तीन वर्ष पूर्व शाम के 6:00 बजे की है। वह ईमलाबाई और सुखमनीबाई के साथ शौच के लिए गई थी, तभी एक मोटरसाइकिल वाला दमोह की दमोह की तरफ से लहराते हुए आया और उनकी तरफ आकर टक्कर मार दी थी, जिससे उसे दांत में चोट आई थी। दुर्घटना मोटरसाइकिल चालक की गलती से हुई थी। उसका ईलाज बिरसा अस्पताल में हुआ था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि आरोपी ने उसे पीछे से आकर टक्कर मारी थी। आरोपी द्वारा हार्न बजाने से वे ईधर-उधर भागने लगे, जिससे दुर्घटना हुई थी।

9— सुखराजी अ.सा.6 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी रामजी को जानता है। वह आहत ईमलाबाई, दिलवंतीबाई एवं बतनबाई को भी जानता है। आरोपी ने उन्हें टक्कर मार दी थी, जिससे वे घटनास्थल पर बेहोश हो गए थे। उसने आहतगणों को पानी पिलाया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि दुर्घटना होते हुए उसने नहीं देखी थी। आहतगण के चिल्लाने पर वह घटनास्थल पर गया था। साक्षी ने स्वीकार किया कि वह नहीं बता सकता कि दुर्घटना किसकी गलती से हुई थी, क्योंकि वह घटनास्थल पर बाद में गया था।

10— छमीलाल अ.सा.8 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी रामजी को नहीं जानता। वह आहत ईमलाबाई, दिलवंतीबाई को जानता है। उसके बयान देने के डेढ़ वर्ष पूर्व ईमलाबाई व दिलवंतीबाई की दुर्घटना हुई थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि दुर्घटना के समय वह घटनास्थल पर नहीं था।

11— दशरथ अ.सा.4 ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह आरोपी रामजी को जानता है। घटना उसके बयान देने के दो वर्ष पूर्व की है। उसके समक्ष पुलिस ने घटनास्थल से एक मोटरसाइकिल जप्तीपत्रक प्रदर्श पी-3 अनुसार जप्त की थी, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने प्रदर्श पी-3 के दस्तावेजों में थाना बिरसा में हस्ताक्षर किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने यह भी कहा है कि खेत में लिखा-पढ़ी हुई थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव को साक्षी ने स्वीकार किया कि जिस कागज पर उसने हस्ताक्षर किये थे, उसे पढ़कर नहीं देखा था और न ही उसे पुलिसवालों ने पढ़कर सुनाया था। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि जब वह घटनास्थल पर गया था, तब आरोपी रामजी वहां से भाग गया था।

12— आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 का अपराध किये जाने का अभियोग है। अभियोजन कहानी के अनुसार आरोपी दुर्घटना दिनांक को अपना वाहन मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-07/एल.एफ-5313 को तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चला रहा था और उसके द्वारा मानव जीवन संकटापन्न किया गया था। इस संबंध में सुखमनीबाई ने कहा है कि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल दमोह तरफ से लहराते हुए एवं तेज गति से चलाते हुए लेकर आया और उसने नल पर पानी भर रही महिलाओं को टक्कर मारी थी। साक्षी ईमलाबाई अ.सा.2 ने विरोधाभासी कथन कर यह कहा है कि मोटरसाइकिल वाले ने पीछे से टक्कर मारी थी, परंतु बतनबाई अ.सा.3 ने आरोपी को पहचानना व्यक्त करते हुए यह कहा है कि आरोपी सामने की तरफ से मोटरसाइकिल को तेज गति से लेकर आया और रोड से उतरकर उसकी साईड में आकर टक्कर मारी थी, जिससे वह गिर गई थी। इसी आशय का कथन अभियोजन साक्षी दिलवंतीबाई अ.सा.5 ने किया है और कहा है कि वह आरोपी को पहचानती है। आरोपी दमोह की ओर से लहराते

हुए मोटरसाइकिल लेकर आया और टक्कर मारी थी। बचाव पक्ष द्वारा उपरोक्त अभियोजन साक्षियों को यह सुझाव अवश्य दिया गया है कि दुर्घटना के समय महिलाएं, ईधर-उधर भागने लगी थी। वस्तुतः आरोपी द्वारा स्वयं दुर्घटना होना एवं दुर्घटना के समय स्वयं वाहन क्रमांक-सी.जी-07/एल.एफ-5313 चलाया जाना परोक्ष रूप से स्वीकार किया है। उपरोक्त अभियोजन साक्षी की साक्ष्य से प्रमाणित हो रहा है कि दुर्घटना दिनांक-23.08.2011 को लोकमार्ग पर आरोपी रामजी द्वारा मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-07/एल.एफ-5313 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित किया गया। ऐसी स्थिति में आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अंतर्गत अपराध किया जाना संदेह से परे प्रमाणित हो रहा है। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया जाता है।

विचारणीय बिन्दु क्रमांक-2 एवं 3 का निष्कर्ष :-

13- अभियोजन साक्षी सुखमनीबाई अ.सा.1 ने कहा है कि दुर्घटना दिनांक को मोटरसाइकिल वाले ने ईमलाबाई, बतनबाई, दिलवंतीबाई को टक्कर मारी और तीनों के उपर मोटरसाइकिल गिर गई। मोटरसाइकिल चालक मोटरसाइकिल को छोड़कर भाग गया था। साक्षी ईमलाबाई अ.सा.2 ने कहा है कि दिलवंतीबाई को दुर्घटना में चोट आई थी। उसे स्वयं सिर तथा सीने में चोट आई थी, जिसके विषय में उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई थी। इस संबंध में साक्षी बतनबाई अ.सा.3 ने कहा है कि दुर्घटना के पश्चात् उसको अस्थिभंग हो गया था और उसके पैर में भी चोट आई थी। आरोपी की ओर से प्रतिपरीक्षण में उपरोक्त साक्षियों से इस संबंध में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया है कि दुर्घटना में आहत ईमलाबाई, दिलवंतीबाई, बतनबाई को चोट नहीं आई थी।

14- डॉक्टर एम. मेश्राम अ.सा.10 का कहना है कि वह दिनांक-23.08.2011 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बिरसा में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बिरसा के आरक्षक इगल क्रमांक-814 द्वारा आहत कुमारी दिलवंतीबाई को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। जिसका परीक्षण करने पर उसने आहत के शरीर पर निम्नानुसार चोटें पाई थी-चोट क्रमांक-1 बांये घुटने पर एक खरोंच, चोट क्रमांक-2 बांए हथेली के पृष्ठ भाग पर एक खरोंच, चोट क्रमांक-3 बांए कोहनी पर एक खरोंच, चोट क्रमांक-4 माथे के बांई ओर एक खरोंच, चोट क्रमांक-5 दांत की दंत पंक्ति के सामने के दो दांत अंदर की तरफ धंस गए थे, चोट क्रमांक-6 नीचले होंठ पर सूजन थी। साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि आहत को आई सभी चोटें किसी कड़े, बोथरे एवं खुरदुरी वस्तु के तेज प्रहार से आना प्रतीत हो रही थी। आहत दिलवंतीबाई को आई चोट क्रमांक-1 से 4 तथा 6 साधारण प्रकृति की थी, जबकि चोट क्रमांक-5 के उपचार हेतु आहत को दंत चिकित्सक जिला चिकित्सालय बालाघाट की ओर रेफर किया था। आहत को आई सभी

चोटे 6 घंटे के भीतर की थी, जो 10-12 दिवस में ठीक हो सकती थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-6 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

15- इसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा आहत बतनबाई को चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया, जिसका परीक्षण करने पर आहत के शरीर पर दो चोटें पाई थी—चोट क्रमांक-1 जो बाएं पैर के नीचले भाग में एक खरोंच थी तथा चोट क्रमांक-2 जो दाहिने पैर के उपरी एक तिहाई भाग से लेकर घुटने के उपर तक सूजन लिये हुए थी। आहत का परीक्षण कर साक्षी ने अपने अभिमत में कहा है कि आहत को आई चोटें किसी कड़े, बोथरे एवं खुरदुरी वस्तु के तेज प्रहार से आना प्रतीत होती थी। चोट क्रमांक-1 साधारण प्रकृति की थी तथा चोट क्रमांक-2 में घुटने के नीचे की टिबिया हड्डी के टूटने की संभावना को देखते हुए उसे एक्सरे हेतु अस्थि रोग विशेषज्ञ के पास जिला चिकित्सालय बालाघाट रेफर किया था। आहत को आई चोटें उसके परीक्षण करने के 6 घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

16- साक्षी ने कहा है कि इसी दिनांक को उसी आरक्षक द्वारा आहत इमलाबाई को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था, जिसका परीक्षण उसने आहत के शरीर पर दो चोटें पाई थी—चोट क्रमांक-1 सिर के पिछले भाग के दाहिने ओर एक सूजन थी तथा चोट क्रमांक-2 दाहिने कंधे पर एक खरोंच थी। आहत को आई चोटें उसके परीक्षण करने के 6 घंटे के भीतर की थी। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-8 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आहत दिलवंतीबाई को चोट स्वयं के द्वारा भागते हुए जमीन पर गिर जाने से आ सकती है। इसी प्रकार बतनबाई को भी ठोस वस्तु के प्रहार से अथवा पत्थर के उपर गिरने से ऐसी चोट आ सकती है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि आहत इमलाबाई को जो चोट आई थी, वह चोट पथरीले भाग पर अथवा खुरदुरे स्थान पर गिरने से आ सकती है।

17- डॉक्टर डी.के. राउत अ.सा.7 ने न्यायालयीन परीक्षण में कहा है कि वह दिनांक-14.09.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-26.08.2011 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के. सेन ने आहत बतनबाई पति पीतमलाल के सीने का एक्सरे किया था, जिसे डॉक्टर समद ने एक्सरे हेतु रेफर किया था, जिसका एक्सरे प्लेट क्रमांक-3120 था, जो आर्टिकल ए-1 है। एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने उसके दाहिने तरफ की सीने की नवीं पसली में अस्थिभंग होना पाया था। उसकी परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने कहा है कि आहत को आई चोट लगभग एक माह पूर्व की थी। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया है कि एक्सरे के समय चोट के सामने

हड़डी में कैलस जमा हो गया था।

18— भूमेश्वर पारधी अ.सा.9 का कहना है कि वह दिनांक-23.08.2011 को थाना बिरसा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उसी दिनांक को ईमलाबाई की सूचना पर अपराध क्रमांक-83/2011, अंतर्गत धारा-279, 337 भा.द.वि. के अंतर्गत मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-07/एल.एफ-5313 के चालक के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किया था, जो प्रदर्श पी-1 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसी दिनांक को ईमलाबाई, बतनबाई, दिलवंतीबाई का मुलाहिजा फार्म भर कर सी.एस.सी. बिरसा भिजवाया था। दिनांक-24.08.2011 को सुखमनीबाई की निशादेही पर प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। घटनास्थल से गवाहों के समक्ष एक मोटरसाइकिल क्षतिग्रस्त हालत में जप्त कर प्रदर्श पी-3 बनाया था, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। दिनांक-29.08.2011 को आरोपी रामजी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। फरियादी ईमलाबाई, साक्षी सुखमनीबाई, बतनबाई, दिलवंतीबाई, सुखराजी, छम्मीलाल के बयान उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अपने मन से घटना की रिपोर्ट दर्ज की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि उसने सभी गवाहों के बयान एक ही दिन में दर्ज कर लिये थे। बचाव पक्ष के इस सुझाव से साक्षी ने इंकार किया कि उसने आरोपी के विरुद्ध झूठा प्रकरण दर्ज किया है।

19— विचारणीय प्रश्न क्रमांक-1 के निष्कर्ष में आरोपी द्वारा दुर्घटना दिनांक को मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-07/एल.एफ-5313 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर मानव जीवन संकटापन्न कारित करना प्रमाणित पाया गया है और यह भी प्रमाणित पाया गया है कि दुर्घटना हुई थी, जिसमें आहत ईमलाबाई, दिलवंतीबाई व बतनबाई को चोट आई थी। आहतगण ईमलाबाई, दिलवंतीबाई व बतनबाई के विषय में चिकित्सक साक्षी डॉक्टर एम. मेश्राम अ.सा.10 ने कहा है कि उसके द्वारा चिकित्सीय परीक्षण किये जाने पर उसने आहत ईमलाबाई व दिलवंतीबाई को साधारण प्रकृति की चोट आना पाया था, जबकि चिकित्सीय साक्षी डॉक्टर डी.के. राउत अ.सा.7 ने यह कहा है कि उसने आहत बतनबाई का दिनांक-26.08.2011 को चिकित्सीय परीक्षण किया था और एक्सरे प्लेट आर्टिकल ए-1 का परीक्षण करने पर उसने आहत के सीने की 9वीं पसली पर अस्थिभंग होना पाया था। साक्षी ने स्वयं द्वारा प्रस्तुत परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श पी-4 को प्रमाणित किया है। प्रकरण में दुर्घटना होना एवं आहतगण को चोट आना प्रमाणित हो रहा है। ऐसी स्थिति में आरोपी द्वारा घटना दिनांक को मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-07/एल.एफ-5313 को उतावलेपन या उपेक्षापूर्वक चलाकर आहत ईमलाबाई व दिलवंतीबाई को साधारण उपहति तथा आहत

बतनबाई को घोर उपहति कारित किये जाने के तथ्य प्रमाणित हो रहे हैं। अतः आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337, 338 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध पाया जाता है।

20- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279, 337 एवं 338 में सिद्धदोष किया गया है। आरोपी द्वारा किये गए अपराध की प्रकृति को देखते हुए एवं इस प्रकार के अपराध से सामाजिक व्यवस्था के प्रभावित होने से उसे परिवीक्षा अधिनियम का लाभ दिया जाना उचित नहीं होगा। अतः दण्ड के प्रश्न पर सुनने हेतु प्रकरण कुछ देर बाद पेश हो।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

पुनश्च-

21- दंड के प्रश्न पर आरोपी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। उनका कहना है कि आरोपी का यह प्रथम अपराध है। आरोपी द्वारा अचानक महिलाएं सामने आ जाने से दुर्घटना हुई थी। विचारण में काफी समय लग गया है। ऐसी स्थिति में उसके साथ नरमी का व्यवहार किया जावे।

22- आरोपी द्वारा विगत पांच वर्षों से विचारण का सामना किया जा रहा है। आरोपी द्वारा आहतगण को गंभीर प्रकृति की चोट आपराधिक मानसिकता के द्वारा पहुंचाई गई हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता। समस्त परिस्थितियों पर विचार करते हुए आरोपी को अत्यधिक कठोर दण्ड देना उचित नहीं होगा। अतः आरोपी को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:-

1. आरोपी रामजी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-279 के अपराध के लिए 500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी रामजी को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

2. आरोपी रामजी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-337 के अपराध के लिए 500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी रामजी को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

3. आरोपी रामजी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-338 के अपराध के लिए न्यायालय अवसान अवधि तक का कारावास तथा 500/-रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड की राशि न चुकाए जाने की दशा में आरोपी को 7 दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

23— प्रकरण में आरोपी अभिरक्षा में निरुद्ध नहीं रहा हैं। इस संबंध में पृथक से धारा-428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

24— प्रकरण में आरोपी की उपस्थिति बाबद् जमानत मुचलके द.प्र.सं. की धारा-437(क) के पालन में आज दिनांक से 6 माह पश्चात् भारमुक्त समझे जावेगें।

25— आरोपी को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क प्रदान की जावे।

26— प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाइकिल क्रमांक-सी.जी-07/एल.एफ-5313 न्यायालय में जमा है, जो उसके पंजीकृत स्वामी को अपील अवधि पश्चात् मांगे जाने पर दी जावे अन्यथा शासन के पक्ष में राजसात की कार्यवाही की जावे, अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

(श्रीष कौलाश शुक्ल)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला-बालाघाट

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)